



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़ 1944 (श10)
(सं0 पटना 452) पटना, बृहस्पतिवार, 7 जुलाई 2022

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
9 मई 2022

सं० 08/न०वि०/मा०प्लान(आयो०क्ष०)-20/2021/2053/न०वि०आ०वि०-बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्वारा बक्सर आयोजना क्षेत्र का महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य नियमानुकूल कार्यवाई के लिए, आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो "मोतिहारी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार" के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नरूपेण गठित होगा : -

- | | | | |
|-------|---|---|------------|
| (i) | जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | - | अध्यक्ष |
| (ii) | मुख्य नगर निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन या उनका प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (iii) | नगर आयुक्त, नगर निगम मोतिहारी | - | सदस्य |
| (iv) | पाँच से अनधिक राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले राज्य सरकार के पदाधिकारी : - | | |
| | (क) उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण | - | सदस्य |
| | (ख) अपर समाहर्ता (राजस्व), पूर्वी चम्पारण | - | सदस्य |
| | (ग) संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मोतिहारी | - | सदस्य |
| | (घ) सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मोतिहारी | - | सदस्य |
| | (च) सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी | - | सदस्य |
| (v) | राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो से अनधिक वैसे व्यक्ति जिन्हें नगर निवेशन का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो | - | सदस्य |
| (vi) | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मोतिहारी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार | - | सदस्य सचिव |

उपरोक्त उप कंडिका-(v) में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे।

2. यह प्राधिकार अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से।

सतीश कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

9 मई 2022

No.-08/न०वि०मा०प्लान(आयो०क्षेत्र०)-20/2021/2053/न०वि०आ०वि०—In the exercise of power conferred under Section-11 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-11 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Government of Bihar hereby constitutes the Planning Authority, which shall be known as "**Motihari Planning Area Authority**" to prepare Master Plan and other development plans of Motihari Planning Area, its implementation and for other lawful actions, and it shall be constituted as follows:-

- | | | | |
|-------|--|---|------------------|
| (i) | District Magistrate, East Champaran | - | Chairman |
| (ii) | Chief Town Planner or representative, Town and Country Planning Organization | - | Member |
| (iii) | Executive Officer, Municipal Council Motihari | - | Member |
| (iv) | Officials nominated by the State Government not exceeding five: | | |
| (a) | Deputy Development Commissioner, East Champaran | - | Member |
| (b) | Additional Collector (Revenue), East Champaran | - | Member |
| (c) | Concerned Executive Engineer, Road Construction Department, Road Division, Motihari | - | Member |
| (d) | Concerned Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Public Health Division, Motihari | - | Member |
| (e) | Concerned Executive Engineer, Rural Works Department, Work Division, Motihari | - | Member |
| (v) | Persons who possess special knowledge or practical Experience in town planning appointed by State Government not exceeding two | - | Member |
| (vi) | Chief Executive Officer, Motihari Planning Area Authority | - | Member Secretary |

Names of the persons mentioned in above sub clause (v) shall be notified by the Urban Development and Housing Department.

2. The authority may exercise the powers prescribed in the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 and the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014 for the performance of its functions.

By order of the Governor of Bihar,
Satish Kumar Singh,
Special Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 452-571+200-डी०टी०पी०

Website: <http://egazette.bih.nic.in>